

आवेदनपत्र क्रमांक-1008100335



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
विद्युत वितरण खण्ड-शाहाबाद, हरदोई

Phone & Fax No: 05852-261000,
E-mail : eddshahabad.hardoi@gmail.com

पत्रांक: 2324 / वि०वि०ख०शा०ह० / पी०एफ०

दिनांक : 24/08/2021

विषय : निजी नलकूप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु नियम व शर्तें।

सेवा मे,

श्री दृगपाल सिंह पुत्र श्री जहान सिंह निवासी ग्राम भोरापुर पो० दौलतपुर, ब्लाक भरखनी, जिला हरदोई।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक.....के सन्दर्भ में आपको सूचित करना है कि आपको निजी नलकूप के लिए 7.5 अश्व शक्ति की स्वीकृति संख्यावि०वि०ख०शा०ह०/एल०-15 दिनांक...../...../2020 द्वारा प्रदान की गयी है। कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आपको निम्न विवरण की धनराशि जमा करके अधोलिखित नियम व शर्तों का अनुपालन करना होगा।

सामग्री का मूल्य	रु०	123490.00
मीटर की कीमत	रु०	2921.00
मीटर लेबर चार्ज	रु०	2036.00
प्रतिभूति धनराशि	रु०	2400.00
जमा करने हेतु कुल धनराशि	रु०	130847.00

धनराशि शब्दों में- (एक लाख तीस हजार आठ सौ सैंतालीस रुपये मात्र)

अनुबन्ध हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं कार्यवाही -

1. मोटर निरीक्षण शुल्क के रूप में शासकीय कोश में 043 विद्युत पर कर एवं शुल्क 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क रु० 500.00 जमा करना होगा।
2. ऊपर लिखी धनराशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्ज रुपये की रसीद की दो छायाप्रति प्रस्तुत करें।
3. 100.00 रु० नॉनजुडिशियल जनरल स्टाम्प तथा एम 10 रु० के निर्धारित हलफनामे पर एक-एक फोटो चसपाकर किसी राजपत्रित/ग्रामप्रधान/ब्लाकप्रमुख/सदस्यविधानसभा/ लोकसभा द्वारा प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।
4. आवेदक के आधारकार्ड की एक छायाप्रति लावें, जिस पर फोटो लगाकर प्रमाणित करायें तथा पूरा नाम व पता एवं मोबाइल नं० लिखें।
5. कैपीसिटर खरीद की रसीद की छायाप्रति दो प्रतियों में।
6. यदि आपको ऊपर लिखी शर्तें मान्य हों तो आप कृपया किसी कार्य दिवस में 10 बजे से 01 बजे दोपहर तक किन्हीं दो गवाहों सहित इस कार्यालय में उपस्थित होकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें।
7. आपको कनेक्शन हेतु लाइन व सबस्टेशन बनवाने हेतु.....मजदूरों की आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी।

8. आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित विद्युत भण्डार केन्द्र हरदोई से अपने वाहन द्वारा सामान की ढुलाई करनी होगी आपके साथ कारपोरेशन का चतुर श्रमिक/रिकल्डलेबर/जावेगा तथा आप द्वारा श्रमिकों की व्यवस्था करने पर शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
9. मोटर पर निर्धारित क्षमता का कैपीसिटर लगायें।
10. आपको अपना पम्पहाउस बनवाने हेतु आवश्यक ईट, बालू तथा सीमेंट का प्रबन्ध करना पड़ेगा अतः उसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाइन कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

नोट:-

1. सीमेंट, बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे तक एंगिल पोल तथा स्टे के लिए होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी, प्रति खम्भा तक सीमेंट 0.85 बोरी, बालू 4.55 घनफिट, मिट्टी 910 घनफिट, सीमेंट 0.35 बोरी, बालू 1.85 घनफिट मिट्टी 3.77 घनफिट।
2. आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आपकी वायरिंग पूरी होगी और वी0 एण्ड एल0 फार्म और मोटरडिक्लेरेशन फार्म (मोटर मुआयना के ट्रेजरी चालान सहित) इस कार्यालय में जमा करें।
3. यदि आप उपरोक्त शर्तें इस पत्र पाने के 90 दिन के अन्दर पूरी नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है और आपका आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कृपया ISIमार्क मोटरों व स्टार्टर का प्रयोग करें।
5. अन्तिम खम्भे से आपके परिसर तक जो केबिल लगेगा उसका मूल्य आपसे नहीं लिया गया है। जिसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी है।
6. उपरोक्त नियम व शर्तों में परिवर्तन होना सम्भावित है तथा संशोधन नियम शर्तें आपको मान्य होंगी।
जमायोजनान्तर्गत कनेक्शन लेने पर धनराशि जमा करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त वरीयता क्रमानुसार संयोजन दिया जायेगा।
7. आपके परिसर पर मीटर स्थापित होने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत किया जायेगा। यदि बिना मीटर के कनेक्शन चलता पाया जायेगा तो आपके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से आप जिम्मेदार होंगे।

(विनोद कुमार)

अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक: 2324 / वि0वि0ख0शा0ह0 / पी0एफ0

दिनांक : 24/08/2021

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपखण्ड अधिकारी, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, विद्युत वितरण उपखण्ड शाहाबाद/पिहानी/सवायजपु, हरदोई।

(विनोद कुमार)

अधिशाली अभियन्ता